

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3602**  
**जिसका उत्तर 24मार्च, 2022 को दिया जाना है।**

.....

**बांधों की सुरक्षा का अध्ययन**

**3602. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में बांध सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में पुराने बांधों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में चेक डैम की सुरक्षा के संबंध में कोई आवधिक सत्यापन किया जा रहा है एवं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वरटुडू)**

(क) और (ख): उनके संचालन और रखरखाव सहित बांधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से बांध मालिकों की होती है, जो ज्यादातर राज्य सरकारें और केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं। बांध सुरक्षा मूल्यांकन, रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण से संबंधित विवरण संबंधित बांध मालिकों के पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आम तौर पर बांध मालिक अपने बांधों की सुरक्षा ऑडिट (समय-समय पर प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून निरीक्षण के संदर्भ में) स्वयं करते हैं। कुछ राज्यों ने अपने बांधों के व्यापक निरीक्षण के लिए बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल का भी गठन किया है।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- I कार्यक्रम के तहत अप्रैल 2012 से मार्च 2021 के दौरान लागू 7 राज्यों में स्थित 223 मौजूदा बड़े बांधों का व्यापक रूप से ऑडिट किया गया है और 2,567 करोड़ रुपये की लागत से उनका पुनर्वास किया गया है। इसके अलावा, डीआरआईपी चरण- II और III के लिए प्रारंभिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में, बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल द्वारा 351 बड़े बांधों का व्यापक सुरक्षा निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

इसके अलावा, इस मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग द्वारा संकलित नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स 2019 के अनुसार, देश में 227 ऑपरेशनल बड़े बांध हैं जो 100 साल से अधिक पुराने (अर्थात् 1921 में या उससे पहले निर्मित) हैं। इन 100 वर्ष पुराने बांधों की राज्यवार सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

(ग) और (घ): जल राज्य का विषय होने के कारण, चेक डैम सहित जल संसाधन परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव मूल रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। चेक डैम की संख्या, उनकी कार्यप्रणाली और उनके रखरखाव आदि से संबंधित जानकारी संबंधित राज्य सरकारों के पास है।

\*\*\*\*\*

"बांधों की सुरक्षा का अध्ययन" के संबंध में दिनांक 24.03.2022 को लोकसभामें उततरदिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3602 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजनाओं (डीआरआईपी) I, II और III में बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) द्वारा बांध निरीक्षण कार्यों का राज्य-वार विवरण

क्र. संख्या	राज्य/ संस्था		डीएसआरपी निरीक्षणों की संख्या	
			डीआरआईपी I के तहत	डीआरआईपी II & III के तहत
1.	आंध्र प्रदेश		-	7
2.	छत्तीसगढ		-	15
3.	गोवा		-	-
4.	गुजरात		-	7
5.	झारखंड		-	2
6.	कर्नाटक		22	11
7.	केरल	डब्ल्यूआरडी	16	25
		केएसईबी	37	
8.	मध्य प्रदेश		25	25
9.	महाराष्ट्र		-	12
10.	मणिपुर		-	5
11.	मेघालय		-	4
12.	उड़ीसा		26	21
13.	पंजाब		-	4
14.	राजस्थान		-	119
15.	तमिलनाडु	डब्ल्यूआरडी	69	11
		टैजेडको	20	25
16.	तेलंगाना		-	2
17.	उत्तर प्रदेश		-	29
18.	उत्तराखंड		5	6
19.	पश्चिम बंगाल		-	11
20.	बीबीएमबी		-	4
21.	डीवीसी		3	6
कुल			223	351

"बांधों की सुरक्षा का अध्ययन" केसंबंधमेंदिनांक 24.03.2022 को लोकसभामें उत्तरदिये जाने वालेअतारांकितप्रश्नसंख्या3602 केभाग (क) और (ख)केउत्तरमेंसंदर्भितअनुलग्नक

बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) 2019 के अनुसार 100 साल पुराने बांधों की राज्यवार सूची

क्र. संख्या	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	निर्मितबड़ेबांधोंकीकुलसंख्या	100 वर्षसेअधिकपुरानेबड़ेबांधोंकीसंख्या (1921 मेंयाउससेपहलेनिर्मित)
1.	अंडमान और निकोबार	2	-
2.	आंध्र प्रदेश	149	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	-
4.	असम	3	-
5.	बिहार	24	1
6.	छत्तीसगढ़	249	7
7.	गोवा	5	-
8.	गुजरात	620	30
9.	हरियाणा	1	-
10.	हिमाचल प्रदेश	19	0
11.	जम्मू और कश्मीर	15	0
12.	झारखंड	55	0
13.	कर्नाटक	230	15
14.	केरल	61	1
15.	मध्य प्रदेश	899	62
16.	महाराष्ट्र	2117	42
17.	मणिपुर	3	-
18.	मेघालय	8	0
19.	मिजोरम	1	-
20.	नागालैंड	1	-
21.	उड़ीसा	200	3
22.	पंजाब	14	0
23.	राजस्थान	204	25
24.	सिक्किम	2	-
25.	तमिलनाडु	118	1
26.	त्रिपुरा	1	-
27.	उत्तर प्रदेश	117	17
28.	उत्तराखंड	17	0
29.	पश्चिम बंगाल	30	0
30.	तेलंगाना	168	18
	कुल	<b>5334</b>	<b>227</b>